भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2010**

11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं और रोजगार/स्वरोजगार उद्यम**

**2010. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में कार्यान्वित की जा रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में विगत दो वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों और इन योजनाओं से लाभान्वित होकर अपना रोजगार शुरू करने वाले लोगों सहित योजना-वार लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में राज्य-बार और जिला-बार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि इन योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(डॉ. जितेंद्र सिंह)**

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), नवाचार, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी प्रसार और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।

ये योजनाएँ प्रतिस्पर्धी, प्रस्ताव-आमंत्रण आधारित प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं और इनमें राज्य या जिलावार बजट आबंटन नहीं होता है। दादरा और नगर हवेली सहित

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संस्थान, अनुसंधानकर्ता, स्टार्टअप और नवप्रवर्तक इन योजनाओं के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन करने के पात्र हैं। निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना संचालित है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह योजना उच्च जोखिम, उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और स्टार्टअप्स को निम्न ब्याज दर और दीर्घकालिक वित्तपोषण की सहायता करती है। इस योजना में उभरते हुए क्षेत्र जैसे ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटना; क्वांटम, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां; कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग; जैव प्रौद्योगिकी और जैव-विनिर्माण; भेषजी उत्पाद और चिकित्सा उपकरण; डिजिटल अर्थव्यवस्था और देश की रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के अंतर्गत, डीएसटी ने क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री में स्वदेशी क्षमताओं के विकास के साथ-साथ क्वांटम प्रौद्योगिकियों में सुदृढ़ आरएंडडी तथा कुशल मानव संसाधन आधारित परितंत्र के निर्माण में सहायता प्रदान की है।

डीएसटी ने अकादमिक तथा अनुसंधान और विकास संस्थानों में उन्नत अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार कोष (फिस्ट), विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन (पर्स), परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएं (सैफ) और परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (साथी) जैसी अनुसंधान अवसंरचना योजनाओं में सहयोग किया है।

डीएसटी के राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन पहल (निधि) कार्यक्रम ने प्रोटोटाइपिंग, नवीन उद्यमों का विकास, प्रारंभिक वित्तपोषण और उद्यमिता विकास गतिविधियों के माध्यम से नवाचार-संचालित और प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है। निधि प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत, महिला उद्यमियों सहित नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को अवधारणा के प्रमाण और प्रोटोटाइप विकास के लिए मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपने स्वयं के उद्यम और रोजगार सृजित करने में मदद मिलती है। निधि ईआईआर (एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस) कार्यक्रम के अंतर्गत, छात्रों को उद्यमिता को आगे बढ़ाने, उद्यम स्थापित करने और रोजगार सृजित करने के लिए उद्यमशीलता संबंधी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवाचार (इंस्पायर)' कार्यक्रम, जिनमें इंस्पायर-मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज (मानक), इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन (एसएचई) और विज्ञान ज्योति शामिल हैं, मेधावी युवाओं को छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति के माध्यम से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर मौलिक और प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन करने और अभियांत्रिकी, चिकित्सा, कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि सहित मौलिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान विषयों में अनुसंधान करियर बनाने के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं।

जलवायु, ऊर्जा और सतत प्रौद्योगिकी (सेस्ट) कार्यक्रम ने नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और ईंधन सेल, उन्नत ऊर्जा भंडारण, कार्बन कैप्चर और उपयोग, मीथेन न्यूनीकरण और उन क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी हेतु सहायता की है, जहां उत्सर्जन को कम करना कठिन है।

राष्ट्रीय अंतरविषयक साइबर-भौतिकी प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अग्रणी संस्थानों में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) योजना के माध्यम से देश भर में अनुसंधान और विकास में सहायता प्रदान करता है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), औद्योगिक और उद्यमिता विकास (आई एंड ईडी) और जैव विनिर्माण और जैव फाउंड्री शामिल हैं।

(ख) से (ग): पिछले दो वर्षों के दौरान विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(घ) से (ङ): सरकार ने, विशेष रूप से ग्रामीण, महत्वाकांक्षी और वंचित क्षेत्रों में सुचारू कार्यान्वयन, प्रभावी पहुंच तथा निष्पक्ष और समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। निम्नलिखित गतिविधियों को सहायता दी गई है:

- अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के समग्र विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) केंद्रों की स्थापना, जिसका उद्देश्य आजीविका सृजन और जीवन स्तर में सुधार करना है।

- आर एंड डी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी जागरूकता, प्रदर्शन और अभिग्रहण कार्यक्रम।
- उद्योग-अकादमिक-सरकारी सहयोग, व्यावहारिक अनुसंधान और स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी सक्षम केंद्रों (टीईसी) की स्थापना।
- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों की भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए क्षमता वर्धन, कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण।
- निधि समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (निधि - आईटीबीआई) कार्यक्रम का उद्देश्य द्वितीयक और तृतीयक स्तर के शहरों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, जिसमें भौगोलिक स्थिति, लिंग, दिव्यांग व्यक्तियों आदि के संदर्भ में समावेशिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

**अनुलग्नक-I**

**प्रत्यक्ष लाभार्थियों की राज्यवार संख्या**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | (डीएसटी) विशिष्ट कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस (निधि ईआईआर) कार्यक्रम | निधि-प्रयास कार्यक्रम | इंस्पायर प्रोग्राम (छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति और संकाय अध्येतावृत्ति) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1 | 21 | 288 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | -- | -- | 15 |
| 3. | असम | -- | 10 | 691 |
| 4. | बिहार | -- | 13 | 1270 |
| 5. | छत्तीसगढ | -- | 2 | 2360 |
| 6. | गोवा | 3 | 1 | 95 |
| 7. | गुजरात | 11 | 52 | 745 |
| 8. | हरियाणा | -- | 21 | 734 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 2 | 888 |
| 10. | झारखंड | -- | 2 | 194 |
| 11। | कर्नाटक | 5 | 81 | 964 |
| 12. | केरल | 3 | 41 | 3093 |
| 13. | मध्य प्रदेश | -- | 9 | 3401 |
| 14. | महाराष्ट्र | 11 | 71 | 1797 |
| 15. | मणिपुर | 2 | -- | 636 |
| 16. | मेघालय | -- | -- | 143 |
| 17. | मिजोरम | -- | -- | 51 |
| 18. | नागालैंड | -- | -- | 73 |
| 19. | ओडिशा | 3 | 32 | 920 |
| 20. | पंजाब | -- | 5 | 535 |
| 21. | राजस्थान | 3 | 23 | 13052 |
| 22. | सिक्किम | -- | -- | 10 |
| 23. | तमिलनाडु | 23 | 99 | 762 |

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | (डीएसटी) विशिष्ट कार्यक्रम के प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस (निधि ईआईआर) कार्यक्रम | निधि-प्रयास कार्यक्रम | इंस्पायर प्रोग्राम (छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति और संकाय अध्येतावृत्ति) |
| 24. | तेलंगाना | 5 | 44 | 490 |
| 25. | त्रिपुरा | -- | -- | 42 |
| 26. | उत्तराखंड | -- | 4 | 2089 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 12 | 29 | 29246 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 3 | 11 | 3875 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | -- | -- | 4 |
| 30. | चंडीगढ़ | -- | 1 | 136 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | -- | -- | 2 |
| 32. | जम्मू और कश्मीर | -- | 4 | 284 |
| 33. | दिल्ली | 2 | 14 | 775 |
| 34. | पांडिचेरी | -- | -- | 20 |

*****